स्वीकृति के लिए लम्बित परियोजनाएं

*133. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1992 से 1 नवम्बर, 1992 तक वन संरक्षण अधिनियम के अधीन मध्य प्रदेश की कितनी परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित थीं;

(ख) गत दस महीनों के दौरान कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गईं;

(ग) यदि शेष परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(घ) प्रथम चरण से संबंधित मामलों को, जिनके संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिये गये हैं; स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं और ऐसे मामलों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :

(क) 31-10-1992 की स्थिति के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश के 38 प्रस्ताव लम्बित थे।

(ख) 1-1-1992 से मध्य प्रदेश के 50 प्रस्तावों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी दी गई है।

(ग) राज्य सरकार के पूर्ण सूचना प्राप्त होने के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को अन्तिम रूप से मंजूर करने के लिए उनकी शीघ्र जांच की जाती है।

(घ) जिन प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप में मंजूर कर लिया गया है, उनके संबंध में राज्य सरकारों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत औपचारिक मंजूरी शीघ्र दे दी जाती है।

Setting up of International Commission on Global Environment

*135. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: SHRI VISHNU KANT SHASTRI:

Will the MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mr. Shozapura Nakamura, Director-General of Environmental Agency of Japan discussed the seting up of an international commission on sustainable development and restructuring of the global environment with the Indian Government during his recent visit;

(b) if so, what are the salient ponits discussed;

(c) whether Japan has agreed to advance a loan of Rs. 403 crores for the Yamuna River Action Plan; and

(d) if so, what are the details of the project proposed to be covered by the Yamuna Action Plan ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) and (b) Mr. Shozapura Nakamura, Minister of State and Director General of the Environmental Agency of Japan, visited New Delhi on 10-12 September, 1992 and views were exchanged on bilateral matters as well as concerning the structure and mandate of the proposed Commission on Sustainable Development to be set up by the United Nations for the follow-up on the decisions taken at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro (Brazil) during June, 1992.

(c) and (d) Japan has pledged a loan of 17.77 billion Yen (equivalent to Rs. 401 crores) for taking up schemes in 15 towns for the abatement of pollution of the river Yamuna.

राजस्थान में कपड़ा (काटन) मिलों की स्थापना

*136. **श्री शिवचरण सिंह** क्या **वस्त्र** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितनी मात्रा में कपास की पैदावार होती है ;

(ख) राजस्थान में कितनी कपड़ा (काटन) मिलें और कितनी सूत मिलें हैं और उनमें से कितनी मिलें चल रही हैं और कितनी रुग्ण हैं ;

(ग) क्या राज्य में कपास की पैदावार को देखते हुए नई मिलों के स्थापित किए जाने की संभावना है, और यदि हां, तो कब तक और ऐसी नई मिलें कहां-कहां स्थापित की जायेंगी, और

(घ) क्या राज्य में, भिवंडी की तरह विद्युत करघे लगाने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो उस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) :

(क) कपास मौसम 1991-92 के दौरान राजस्थान में कपास की 10.23 लाख गांठ का उत्पादन हुआ।

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति अनुसार राजस्थान में 34 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (26 कताई मिलें + 8 मिश्रित मिलें) हैं तथा 30 सितम्बर, 1992 की स्थिति अनुसार इनमें से 5 मिलें बंद पड़ी हुई हैं। 31 अक्तूबर, 1992 की स्थिति अनुसार राजस्थान में बी० आई० एफ० आर० द्वारा रुग्ण मिलों के रूप में सूचित की गई मिलों संख्या 12 है।

(ग) नई औद्योगिक नीति के अनुसार वस्त्र मिलों की स्थापना करने के लिए लाइसैंस लेना जरूरी नहीं है। तथापि, एन० सी० डी० सी० राजस्थान के गंगानगर जिले में 2 सहकारी कताई मिलों की स्थापना करने पर विचार कर रहा है।

(घ) विद्युतकरघों की स्थापना विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में होती है तथा यह निजी उद्यमियों द्वारा की जाती है। नए विद्युतकरघों की स्थापना करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

Representation on the United Nations Commission on Sustainable Development

*137. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) what steps Government have taken so far to get a berth on the proposed U. N. Commission on Sustainable Development, as a follow-up of the Earth Submit held in Rio;

(b) whether it is a fact that India has a better claim to get a representation because the country has a wide spectrum of competent Non-Government Organisations doing good work in this field as well as a large number of experts in Scientific field and eminent industrialists; as reported in the 'Hindustan Times' dated the 6th November, 1992; and

(c) if so, what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) to (c) The structure and other modalities concerning the proposed Commission on Sustainable Development are yet to be finalised in the United Nations General Assembly. The exact manner of representation of any country in the Commission or its activities can be determined only in the light of that. But India's interest in being involved in this is known and will be taken forward when the modalities are finalised.

Allocation of Gas from HBJ Pipeline for Power Plants

*138. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleasd to state:

(a) whether the allocation of Gas from HBJ pipeline for power plants is based on any study justifying transportation of gas over long distances rather than evacuation of power; and

(b) if not, the reasons for not undertaking such a study ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) and (b) HBJ pipeline was originally conceived to supply gas to six fertilizer plants. Allocations for power plants were made subsequently